निर्वाचन/तत्काल/अति महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

कार्यालय जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर

आदेश

जिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेश सं0 4011/निर्वाचन व्यवस्था/उप निर्वाचन 2024 दिनांक 05.11.2024 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र 56–गाजियाबाद में उप निर्वाचन 2024 हेतु मतदान तिथि दिनांक 20 नवम्बर 2024 (बुधवार) को निर्धारित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख में प्रावधान किया गया है कि किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन सवेतन अवकाश मंजूर किया जायेगा।

अतः आदेशित किया जाता है कि जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित विभिन्न कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिन्हें विधान सभा क्षेत्र 56–गाजियाबाद में मतदान तिथि दिनांक 20 नवम्बर 2024 (बुधवार) को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, उन्हें उनके नियोजकों द्वारा उक्त मतदान दिवस पर मतदान करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त दिवस का सवेतन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

पत्र सं0–38736-741/गौ0/श्रम/वि0स0उप निर्वाचन 2024 दि.– 18 नवम्बर 2024

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर
2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौतमबुद्धनगर
3. अपर श्रम आयुक्त गौतमबुद्धनगर
4. उप निदेशक कारखाना, गौतमबुद्धनगर
5. जिला सूचना अधिकारी को जनहित में जनपद के विभिन्न समाचार पत्रों एवं दृश्य–श्रव्य मीडिया के माध्यम से निःशुल्क प्रकाशित/प्रसारित/प्रचारित कराये जाने के निर्देश के साथ प्रेषित।
6. जनपद के विभिन्न नियोजक संगठनों एवं श्रमिक संगठनों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18/11/24

(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

Scanned with CamScanner